



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4883 वर्ष 2026

मो. इमरान अंसारी

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय,
लखनऊ यू.पी. एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: नीलू सिंह चौहान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या –13

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

1. श्री पुरुषोत्तम चौरसिया, अधिवक्ता, ने विपक्षी संख्या 2 एवं 3 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम चौरसिया, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन पत्र, आरिप पत्र संख्या 109/2014 दिनांक 01.07.2014, जो कि वाद अपराध संख्या 551 वर्ष 2013 धारा 363, 366, 376 भा.द.सं., थाना कोतवाली, जिला सीतापुर से उद्भूत है, के साथ-साथ आरोप पत्र संख्या 62/2015 दिनांक 21.05.2015, जो कि वाद अपराध संख्या 263 वर्ष 2014 धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.द.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोतवाली नगर, जिला सीतापुर से उद्धृत है, और वाद अपराध संख्या 551 वर्ष 2013 में दिनांक 06.05.2025 के आक्षेपित गैर-जमानती वारंट आदेश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के समक्ष लंबित वाद संख्या 1902 वर्ष 2014 "राज्य बनाम इमरान" की संपूर्ण कार्यवाही को दिनांक 08.06.2026 के समझौते के आलोक में निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।

4. प्रार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात, पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का समझौता कर लिया है। समझौता विलेख दिनांक 08.06.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया है जिसे वर्तमान आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही एक निरर्थक प्रयास है क्योंकि वाद का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है और यह प्रार्थी के उत्पीड़न के समान है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

5. दूसरी ओर, विपक्षियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया और तर्क दिया कि पक्षों ने समझौता विलेख के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वर्तमान प्रार्थी के विरुद्ध विपक्षियों की अब कोई शिकायत नहीं है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब यह कि क्या पक्षों ने वास्तव में मामले में समझौता किया है या नहीं, यह निचली न्यायालय द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि ऐसे समझौते का संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, यह आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि संबंधित न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात, समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा उस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को पत्रावली का हिस्सा बनाया जाएगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और प्रार्थी के लिए कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु पुनः इस न्यायालय के समक्ष आने का विकल्प खुला रहेगा।

10. तीन माह की अवधि के लिए, आरोप पत्र संख्या 109/2014 दिनांक 1-07-2014 के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही, जो कि वाद अपराध संख्या 551 वर्ष 2013 धारा 363, 366, 376 भा.द.सं., थाना कोतवाली, जिला सीतापुर से उत्पन्न हुई है और आरोप पत्र संख्या 62/2015 दिनांक 21.05.2015 जो कि वाद अपराध संख्या 263 वर्ष 2014 धारा 498-ए, 323, 504, 506 भा.द.सं. और ¼ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जिला सीतापुर से उत्पन्न हुई है, तथा वाद अपराध संख्या 551 वर्ष 2013 में दिनांक 06.05.2025 का आक्षेपित गैर-जमानती वारंट आदेश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर के समक्ष लंबित वाद संख्या 1902 वर्ष 2014 "राज्य बनाम इमरान" की संपूर्ण कार्यवाही, जहाँ तक प्रार्थी का संबंध है, स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह तथ्य परीक्षित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्षकार जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल पक्षकार हैं, और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, उसकी प्रतिलिपि लेने के पश्चात वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि)

12 जून, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।